तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके वकील में से कोई उपस्थित नहीं। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के वकील उपस्थित। वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम धीरा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 127 रकबा 2.3714 हैक्टेयर, खसरा संख्या 467 रकबा 1.9020 हैक्टेयर, खसरा संख्या 286 रकबा 4.8239 हैक्टेयर, खसरा संख्या 78 रकबा 4.7753 हैक्टेयर तथा ग्राम दरबला तहसील सिवाना की खसरा संख्या 196 रकबा 1.8534 हैक्टेयर जिसमें विप्रार्थी संख्या 1, जो कि प्रार्थी का पिता है तथा उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि में उसका 1/9 हिस्सा दर्ज है, इसके अतिरिक्त ग्राम धीरा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 322 रकबा 1.1412 हैक्टेयर में विप्रार्थी संख्या 1 का 1/54 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी ने भूमि पुश्तैनी होने एवं विप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 व 3 पुत्र–पुत्रियों होने से प्रत्येक का विप्रार्थी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में 1/4–1/4 हिस्सा होना प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के जवाब से प्रमाणित है। विप्रार्थी संख्या 1, जो कि विवादित भूमि का दर्ज खातेदार है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्यों से सहमत है। ऐसी सूरत में समस्त विवादित भूमि के संबंध में स्थगन की प्रकिया जारी रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा विवादित भूमि में विप्रार्थी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में से बनने वाले प्रार्थी अर्जुनसिंह के 1/4 हिस्से को छोड़ कर शेष भूमि के संबंध में स्थगन के आदेश निरस्त किये जाते हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Bishnoi Date: 2023.09.08 15:25:04 IST Reason: SelfAttested	